

(रा.भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अभिकारी महोदय  
सिवाणा प्रिन्सिपल ऑफिस  
(राजस्थान)

विषय - राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि ग्राम फूलवा की जमाबन्दी सम्वत् 2092-09 के खाता संख्या 209 में मेरा/हमारे नाम मोहन लाल पुत्र धीमाराम

दर्ज हैं जो अशुद्ध हैं, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम मोहनलाल विश्वनाथ पुत्र धीमाराम है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें ।  
दिनांक :-

*(Handwritten Signature)*

हस्ताक्षर प्रार्थी/प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भूअ. निरीक्षक

प्रार्थी के आधार कार्ड के अनुसार मोहन पुत्र धीमाराम  
के स्थान पर मोहनलाल विश्वनाथ पुत्र धीमाराम शुद्ध  
किया जाना उचित है।

*(Handwritten Signature)*  
17.10.25

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

प. सांवरड़ा

रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित हैं ।

Gomf

2025/634

आदेश

दिनांक 17/10/25

क्रमांक / ग.से.वि. / 1728

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम फूलवा की जमाबन्दी संवत् ..... के खाता संख्या 209 में मोहन लाल धीमाराम के बजाय सम्मान सूचक इन्द्राज

मोहनलाल विश्वनाथ पुत्र धीमाराम करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।  
दस्तावेज की कार्यवाही की जावे ।



उपखण्ड अभिकारी सिवाणा  
उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना, बालोतरा